भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3437

उत्तर देने की तारीख: 15.07.2019

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

3437. श्री बालक नाथः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एससी/एसटी के कल्याण और विश्वविद्यालय में उनकी पदोन्नति के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किए जाने की कोई घटना सरकार के ध्यान में आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों के अनुसार एसओएल, दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान कार्यकारी निदेशक के निलंबन के संबंध में हाल ही में कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अभी तक सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उक्त सिफारिश के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मानव संसाधन मंत्रालय के विरुद्ध न्यायालय में गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ) : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने सूचित किया है कि ओपन लर्निंग स्कूल (एसओएल) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की जा सकी क्योंकि एसओएल के पास सक्षम प्राधिकारी से संस्वीकृत कोई पद नहीं हैं। यूजीसी ने विश्वविद्यालय से अपनी कार्यकारी परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एसओएल को विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज के रूप में विश्वविद्यालय की संविधि में जोड़ने हेतु

संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है, विश्वविद्यालय ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

विश्वविद्याल ने यह भी सूचित किया है कि एसओएल ने कार्यकारी निदेशक के निलंबन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और वे 30.06.2019 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, एसओएल ने एनसीएसटी की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है और न्यायालय ने दिनांक 31.05.2019 के आदेश द्वारा स्टे दे दिया है।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक सांविधिक स्वायत संस्थान है, जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया और यह अपने सांविधिक निकायों अर्थात शैक्षिक परिषद, कार्यकारी परिषद और कोर्ट के अनुमोदन से सभी शैक्षिक और प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

*****